2-2

संख्या:– /III(2)/10–41(एम0एल0ए0)/2010

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक: 19 जनवरी, 2010

विषय:– **जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यो हेतु उपलब्ध कराये आगणनों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 252.00 लाख (₹ दो करोड़ बावन लाख मात्र) पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.01 लाख अर्थात कुल 08 कार्यो हेतु ₹ 0.08 लाख (₹ आठ हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:– 1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही हो तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Photocopy Attested

शा0सं0– 7034 /III(2)/10–41(एम0एल0ए0)/2010 दि0 19 जनवरी, 2011 का

संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
01	02	03	04	05
01	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत लोल्टी–मालबजवाड़ मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	25.20	0.01
02	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत बनेला–सिमली–कोठा मोटर मार्ग से मजेठा–चिड़गा मोटर मार्ग का विस्तार।	2.00	25.20	0.01
03	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत नन्दकेशरी–पुरणा से धरा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	37.80	0.01
04	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	25.20	0.01
05	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत नारायणबगड़–केवर तल्ला मोटर मार्ग का निर्माण ।	2.00	25.20	0.01
06	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत कोलसों बैण्ड से चुला–गवीनी–कफोली– बमियाला तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	63.00	0.01
07	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत नारायणबगड–परखाल–बिजोरागढ़–पालछुनी–मानरू मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	25.20	0.01
08	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत डुंग्री–रतगांव मोटर मार्ग का विस्तार।	2.00	25.20	0.01
	योगः–	20.00	252.00	0.08

(कुल ₹ आठ हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)

9– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–718/XXVII/(2)/2010 दि0: 07 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः– 7034 (1)/III(2)/10–41(एम0एल0ए0)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद चमोली।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद चमोली/देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)